न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बीकानेर
पीठासीन अधिकारीः– श्री ए.एच.गौरी आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 53/2016

1– हाफीज खां पुत्र गुलाम नबी जाति मुसलमान साकिन मगनवाला तहसील कोलायत जिला बीकानेर

अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये उपनिवेशन तहसीलदार कोलायत नं. 01

रेस्पोडेन्ट

::अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम 1956::

उपस्थिति :–

1– अपीलान्ट की ओर से – श्री रणजीतसिंह निर्वाण अधिवक्ता
2– स्टेट की ओर से – विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय दिनांक 28.06.2019

1. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने तहसीलदार उपनिवेशन कोलायत नं. 1 के आदेश दिनांक **16.10.1983 द्वारा अपीलान्ट को वाके रोही ग्राम मगनवाला के खेत खसरा नम्बर 23/3 तादादी 33 बीघा भूमि का टी.सी. आवंटन निरस्त किया गया,** से व्यथित होकर यह अपील उपायुक्त उपनिवेशन, बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आदेश अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ कानून व न्याय व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है व रूहेदाद मिसल का होने से आदेश अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आदेश अधीनस्थ न्यायालय निरस्त फरमाया जावे।

2. राजस्थान सरकार उपनिवेशन विभाग राज. जयपुर की अधिसूचना पत्रांक 11(3)उप/2006/पार्ट–1 दिनांक 04.12.2015 के क्रम में उपनिवेशन तहसील कोलायत नं. 1,2,3 से संबंधित क्षेत्राधिकार राजस्व विभाग को परिवर्तन होने पर प्रकरण इस न्यायालय में हस्तान्तरित होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोण्डेण्ट स्टेट को जरिये सम्मन तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय से मूल रिकार्ड मंगवाया जाकर मामले के गुणावगुण पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

3. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट की बहस है कि अपीलान्ट ग्राम मगनवाला तहसील कोलायत का पुश्नैनी वाशिन्दा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 31.08.1983 को वाके रोही ग्राम मगनवाला के खेत खसरा नम्बर 23/3 तादादी 33 बीघा बारानी भूमि का बतौर आरजी काश्तकार की आवंटन किया गया। अपीलान्ट को बाद आवंटन पटवारी हल्का द्वारा विधिवत् कब्जा दिया गया उसी अनुसार काबिज होकर आज दिनांक तक काबिज होकर अपीलान्ट आराजी मुतनाजा को काश्त करता चला आ रहा है जो वर्तमान में चकबंदी के पश्चात चक 4–5 एमजीएसएम के मुरब्बा नम्बर 41/20 के मिला नम्बर 6 ता 20, मुरब्बा नम्बर 41/28 के मिला नम्बर 4 ता 20, 25 कुल तादादी 33 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि फीट हुई है तथा मौके पर अपीलान्ट का आज भी लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलान्ट को नोटिस जारी किये व विधिवत सूचना किये बिना मनमाने ढंग से अपीलान्ट को बावजूद सूचना उपस्थित नहीं कहकर आदेश अधीनस्थ न्यायालय पारित कर भारी विधिक भूल की है। आदेश अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ कानून, न्याय व विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपील धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत जानकारी के दिन से अन्दर मियाद प्रस्तुत की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आदेश अधीनस्त न्यायालय निरस्त फरमाया जावे।

4. स्टेट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि की बहस है कि पटवारी हल्का ने उपनिवेशन तहसीलदार कोलायत नं. 1 के समक्ष सायल ने वर्ष 2040 में कोई काश्त नहीं करने की रिपोर्ट पर दिनांक 16.10.1983 को कैम्प बज्जु में पत्रावली पेशी में ली गई। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी के इतला के बावजूद उपस्थित नहीं आने एवं वि.स. 2041 में प्रश्नगत भूमि का नवीनीकरण नहीं कराने के कारण प्रार्थी का अस्थाई आवंटन खारिज करने का आदेश पारित किया है। अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की है। अपीलान्ट द्वारा अपील मियाद बाहर होने से अपील खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट द्वारा यह अपील उपनिवेशन तहसीलदार कोलायत नं. 1 के निर्णय दिनांक 16.10.1983 के विरूद्ध दिनांक 23.06.2015 को करीब 32 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विलम्ब का दिन प्रतिदिन का कोई कारण अंकित नहीं है। ऐसे व इतने विलम्ब को माफ नहीं किया जा सकता। लिहाजा अपील मियाद बाहर होने से अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

6. निर्णय आज दिनांक 28.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय को लौटाई जावें।

(एस्व गौरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बीकानेर

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner